छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

कमांक एफ–5–18/2020/10–2 नवा रायपुर, दिनांक 26/11/2020

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छ.ग. अरण्य भवन,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः– Diversion of forest land for non-purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Chhotedonager Iron Ore Mines M/s Shri Bajrang Power & Ispat Ltd. Have been granted with Mining lease for Iron ore over an Area – 66.020 ha. regarding.

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–230/1574, दिनांक 27.08.2020 तथा पत्र क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–237/1785, दिनांक 07.10.2020।

---00---

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। विषयांकित प्रस्ताव के परीक्षण में निम्न बिंदुओं पर त्रुटियां परिलक्षित हो रही है :–

1. प्रस्ताव में प्रदायित समस्त ऐसे दस्तावेज/प्रमाण पत्र जिसमें केवल आवेदक संस्थान के हस्ताक्षर है उनमें वनमंडलाधिकारी, मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर प्रदाय करें। यदि असहमत या अतिरिक्त जानकारी दी जानी हो तो संबंधित अधिकारी अपनी विशेष टीप दर्ज करें।
2. DGPS Survey Report में वनमंडलाधिकारी के हस्ताक्षर करने के पहले निम्न दिशा निर्देश का पालन करना होगा :–

(a). वनमंडलाधिकारी द्वारा 2% मुनारो को Physically Scrutiny करेगें तथा अपने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में उन मुनारों की क्रम संख्या का विवरण दर्ज करेगें जिनका Physically Scrutiny किया गया है। यह भी वनमंडलाधिकारी टीप करेगें कि उक्त Physically Scrutiny किये गये मुनारे के अक्षांश एवं देशांश सही है अथवा गलत। यदि गलत हो तो सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगें।

(b). उपवनमंडलाधिकारी द्वारा 10% मुनारों का, परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा 30% मुनारों का, एवं Beat Guard/Forester द्वारा 100% मुनारों का Physically Scrutiny किया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त सभी अधिकारी Physically Scrutiny के पश्चात् तत्संबंधी स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रदाय कर DGPS Surve के Report में अनिवार्य रुप से उल्लेखित करेगें।

(c). उपरोक्त DGPS Surve Report में वनमंडलाधिकारी, उपवनमंडलाधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी, Beat Guard/Forester के संयुक्त हस्ताक्षर अनिवार्य होगें।

क्रमशः 2

3. विषयांकित प्रस्ताव में विभिन्न चेक लिस्ट क्रमांक के सापेक्ष में प्रदायित वनमंडलाधिकारी के वचन पत्र/प्रमाण पत्रों में दर्ज विवरण तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के द्वारा प्रदायित संदर्भित पत्र में बिंदुवार विवरण में भिन्नता परिलक्षित हो रही है। अतः प्रस्ताव के विभिन्न चेक लिस्ट क्रमांकों में आवेदक संस्थान/वनमंडलाधिकारी/मुख्य वन संरक्षक/कलेक्टर/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)/प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा दिये गये वचन पत्र/प्रमाण पत्रों के Matter को **अक्षरशः** संदर्भित पत्र में प्रदायित बिंदुवार विवरण में दर्ज करते हुए संदर्भित पत्र को संशोधित कर प्रेषित करने का कष्ट करें।

2/– कृपया उपरोक्त बिंदुओं पर उल्लेखित त्रुटियों के अनुरूप संशोधित पत्राचार/जानकारी प्रेषित करने का कष्ट करें, जिसके उपरांत प्रकरण में आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

(आर.के.चंचलानी)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक एफ–5–18/2020/10–2 नवा रायपुर, दिनांक 26/11/2020

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
3. वनमंडलाधिकारी, नारायणपुर वनमंडल, छत्तीसगढ़।
4. आवेदनकर्ता, श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम बोरझरा, उरला गुमा रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग